

Eastern Railway
(Personnel Department)
17 N. S. Road, Kolkata - 700 001

Serial Circular No. 185/2019

No. E.542/3/W/Pt.III

Kolkata, Dated: 11/09/2019

All Concerned

(as per standard list)

Sub: Railway Institutes/Clubs - updation of Master Circular
regarding.

A copy of updated Master Circular No. 3 on "Railway Institutes/Clubs" circulated through Ministry of Railways (Railway Board)'s letter No. E(W)2019/IC-1/2, dated 27/08/2019, is sent herewith together its Hindi version, for information and guidance.

DA: As above.


(P. Chatterjee)
Sr. Personnel Officer/W&IR
For Pr. Chief Personnel Officer

GOVERNMENT OF INDIA भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS रेल मंत्रालय
RAILWAY BOARD रेलवे बोर्ड

No. E(W)2019/IC-1/2

New Delhi, dated 27-08-19

The General Manager,
All Indian Railways/Production Units etc.

Sub:- Railway Institutes/Clubs-updation of Master Circular regarding.

At present the orders relating to Railway Clubs/Institutes are compiled in Master Circular No. 3/90 issued under letter No.E(W)90/IS-1/3 dated 07.09.1990. It contained salient features and instructions issued by Board from time to time on the subject. Since then, a number of instructions have been issued in the form of supplementary instructions to the Master Circular. The question of consolidation of these existing orders/circulars into an updated Master Circular has been under the consideration of the Ministry of Railways (Railway Board). It has now been decided to issue a consolidated Revised Master Circular on the subject for the information and guidance of all concerned.

2. The Railway Administrations provide, as part of staff amenity, Institutes/Clubs to promote esprit de corps among Railway employees and also to encourage them to participate in sports, cultural programmes, etc. As such, a Railway Institute should be looked upon as a club provided by the Railway, rent-free for the benefit of its employees. As a principle, therefore, the Railway Administrations should provide everything which a landlord ordinarily would and the Institute/Club should pay for all that a tenant would usually be liable.

3. The Railway Administration will bear :

- (i) The first cost of the building including the cost of electric installations (including electric fans) with necessary furniture, roads, fences, tennis courts and other playgrounds. Wherever possible, a garden will also be provided.

Note :- The term "furniture" is not intended to include billiards, table, pianos and pictures. It includes lamps, other than billiard table lamps and locks and keys of almirahs.

- (ii) The cost of maintenance and alterations except in the case of tennis courts and other playgrounds, the Railway Administration will bear only the cost of ordinary Engineering repairs.

4. The Institute/Club funds will bear :

- (a) The cost of rolling, watering, grass-cutting and other maintenance charges of playgrounds, other than engineering repairs;
- (b) the cost of maintenance of its gardens and ornamental grounds;
- (c) the cost of maintenance and renewal, whether partial or complete, of electrical installations including fans payable at a flat rate of Rs.5/- per annum on the capital cost of the installations;
- (d) the cost of electric current consumed and hire of meter;
- (e) occupiers' share of Municipal taxes for specific direct services rendered to an Institute by a Municipality such as conservancy, water and the like taxes as distinct from taxes of general nature;
- (f) water charges calculated at so much per tap, each Railway administration fixing its own rate of charges.

Note: In case where large quantities of water are supplied as in case of swimming pools, the actual cost of water supplied should be recovered. However, in cases where waste water from the swimming pools is utilised for definite railway purposes, e.g. flushing of sewers and watering of grounds, etc. no charges for supply of water to swimming pools should be recovered.

5. No rent is recoverable in the case of Institutes/Clubs where the building is erected by the Institute/Club at its cost on Railway land. Also, no rent is recoverable in the case of Institutes/Clubs:

- i. If the buildings are specifically constructed after obtaining the sanction from the Railway Board.
- ii. If any additional expenditure is incurred in converting an existing building into a club/Institute or providing ancillaries to make it suitable as an institute/club had the prior approval of the Railway Board.

6. The class-IV staff employed in Railway institutes may be given residential accommodation free of rent provided that such accommodation is either part and parcel of

the Institute building and its recognised out-houses, or is not required for any other railway purpose or cannot be rented to outsiders and would otherwise lie vacant.

(Para 2211 of IREM, Vol.II (Revised edition 1990).

7. The General Manager of the Railways may frame rules to suit local requirements of the Railway Administrations and other circumstances of the place. While laying rules for use of Railway premises/Institutes/Clubs etc., among other things specific mention of the following must be made:

- (i) The holding of meeting on railway land by recognised unions – no political subject should be discussed in the meetings.
- (ii) Prohibiting the grant of permission to unrecognised unions for holding their meeting on Railway land/premises.
- (iii) Restriction on the use of any railway land for holding election meetings and/or public meetings.

(Para 2217 of IREM, Volume II). (Revised edition – 1990).

8. Allocation under SBF to Institutes and Clubs and charges etc.

The grant under SBF is meant for recreational facilities for both Officers and Supervisory Staff, it may please be ensured that a portion of this grant is made available to the Institutes for recreation of the supervisory staff also, on the scale decided by the GMs, taking into account the local conditions.

(Railway Board's letter No.E(W)99/IS-1/3 dtd 04.04.2000)

It is further clarified that the Grants available under Staff Benefit Fund (SBF) for the head/activity "Recreational facilities at Institutes and Clubs, etc. can be utilised for Officers' Club as well.

(Railway Board's letter No.E(W)2006/FU-1/5(Pt) dated 16.10.2018)

It has also been decided that only 3 rates for hiring Club premises should be laid down –

One for the members, the other for non-member Officers and Supervisors and the third one for Outsiders. The rates charged from Supervisors should be less than the rates charged from the outsiders and more than the rates charged from the members. There should be no difference in the rates charged from non member Officers and non-member Supervisors.

(Railway Board's letter No.E(W)99/IS-1/3 dtd 04.04.2000)

9. Use of Railway Institute/Club premises by outsiders for private functions.

The Club/Institutes premises are accordingly offered for private functions by Members, etc. Instructions also exist regarding use of club/Institute premises by unions and outsiders for cultural shows and for cinema shows etc. Certain conditions, have, however, been laid down by Board with regard to holding the private functions.

(Railway Board's letters No.63/W2/CNB dated 7.2.67 and 1.5.67; no.78/W2/3/66 dated 10.8.79; no.E(W)86-ISI-2 dated 3.6.86 and no.E(W)99/IS-1/3 dated 4.4.2000).

9.2. The absolute ownership of the property being that of the Railways, needless to say that the premises cannot be leased out by the Club/Institute management to anybody. However, Railways have been permitting outsiders for holding private functions in the Club/Institutes after meeting demands from members and Non-member officer/staff, not amounting to leasing of the premises. In one of the cases in recent past, managing committee of an officers' club entered into an agreement with a contractor regarding use of club premises for commercial gains for a period upto 20 years without prior approval of competent authority, in violation of Board's extant instructions which stipulate that licensing of railway land for purposes not connected with railway working is not permitted (Railway Board's letter No.2004/LML/18/116 dated 27.10.2004).

9.3. It may please be ensured by Zonal Railways that bye laws of their Clubs/Institutes must be in line with extant instructions issued from time to time with regard to running the affairs of the Clubs/Institutes, lease/use of railwayland etc.

9.4. Following aspects may also be kept in view and suitable provisions be incorporated in the bye-laws:

- (a) Use of Club/Institute premises by a person for private functions should generally be restricted for one day only, and charges for the same will be on "per day" basis.
- (b) In case of outsiders, permission to use Club/Institute premises shall be given by the Club/Institute directly to the individual for private purpose only and not for any commercial interest/gains.
- (c) No third party or contractor shall be authorised to take possession of the premises for further allotment.
- (d) Club/Institute management will specify conditions regarding proper use of premises but will not involve themselves with catering/shamiana arrangement, etc. for allottee. Allottee will himself make necessary arrangements for catering/shamiana etc.

- (e) Allottee shall be held personally responsible for any damages caused to the Club/Institute property.
- (f) Hire charges for use of Club/Institute premises by outsiders should be fixed by the Committee in keeping with comparable facilities available in the market, etc.
- (g) Gambling, consumption of liquor and other unlawful activities should be prohibited.
- (h) The programme of performances, etc. must be intimated to the Secretary of the Club/Institute before hand whose discretion in allowing or refusing permission would be final.
- (i) Club/Institute management shall not specify any condition or enter into any arrangement with anyone which, directly or indirectly, amounts to seizure of Railway's authority as owner of the premises/Railway land and is likely to affect railway's interests in any way and shall always take steps to protect Railways' interests.
- (j) Caution money may be charged from the allottee for use of the premises and handing over the premises back to the Railways intact. In the event of damages caused to the railway property by the allottee, the caution money may be suitably adjusted for compensating the damages. The amount of caution money may be fixed taking local conditions into account.

(Railway Board's letter No.E(W)2004/IS-1/2 dated 12.10.2006)

10. The Membership of the Institute/club is optional. The running of the Institute/clubs are to be managed by a Committee, representing its members. The Committee engage such staff as are required and meet the cost of their wages and allowances. The cost of running the Institutes/clubs is met from funds at the disposal of the Institutes Management Committees derived from membership fees and grants from the Staff Benefit Fund. In view of the limited funds available at the disposal of the Managing Committee, they should employ only part-time workers and the whole-time workers should be engaged only when absolutely necessary in which case they should be paid adequate wages in consonance with such market conditions.

(Nos. E(W)86-ISI, dated 21-1-87, E(W)80-ISI-1, dated Oct, 1980 and E.55 LRIG dated 25-4-56).

11. The whole-time staff of the Railway Institutes may also be issued Complimentary 'Admn' Cheque Passes as per ACS No.17 to the Railway Servants (Pass) Rules, 1986 (2nd edition, 1993).

(Railway Board's letter No.E(W)97PS5-1/45 dated 28.10.99)

11.1 Pass facility to non-Railway Servants will be governed by the instructions No.E(W)2019/PS5-1/5 dated 03.06.2019.

(Railway Board's letters No. E(W)2019/PS5-1/5 dated 03.06.2019)

12. Since the staff of the Institutes/clubs are not regular Railway servants, the Managing Committees should add a suitable clause to this effect while giving offer of appointment to the entrant in their employ. Existing staff should also be suitably advised of this. In this connection, the Supreme Court in their recent Judgement in Civil Writ No. 1389 of 1987 dated 27-2-90 upheld the contention of the Ministry of Railways (Railway Board) that the staff employed by the Railway Institutes/clubs are not regular Railway servants and hence dismissed the petition.

(No. E(W)86ISI-1, dated 21-1-87 and E(W) 87ISI-12 dated 30-4-90).

13. The following procedure should be followed by all the Railway in the matter of giving permission to recognised unions for holding meetings in Railway Institutes/clubs:

- i. Prior permission of the Railway would be necessary before the Railway institutes/clubs could be used.
- ii. The request for permission should reach the Administration at least three days before the meeting is sought to be held
- iii. No political subject would be discussed in the meeting but the Railway Administration would not insist for a copy of the agenda.
- iv. In addition to obtaining permission from the Railway Administration, the responsibility for obtaining permission from the civil authorities or the Managing Committee of the Institute/clubs, whenever necessary, would be with the trade unions concerned;
- v. The time and date of the meeting should also be intimated by the Union while applying for permission.

The Railway Administration should ensure that granting or refusing permission are issued promptly to the Unions. Permission cannot be given to use Railway Land/permisses by the unrecognised unions for holding meetings etc.

- vi. There would be a ban on the use of railway premises for any religious function except that the functions for which permission had been given in the past for being held in a particular railway premises would be allowed as hitherto.

It is desirable that specific mention is made by the Railway Administrations in their local Rules framed with regard to running of the Railway Institutes/clubs on the above aspect.

(Nos: E(L)60UT1-33 dated 9-2-60, E(LR)III-80UT3/23 dated 8-5-80, E(W)86-ISI-2 dated 3-6-86 and E(W)87-SC-2/13 dated 20-1-88).

14. It has been decided that where direct recruitment to Group "D" posts is made from the open market in the Workshops or in Electrical/Diesel Loco Sheds, as permissible under extant instructions, persons employed in Railway Institutes attached independently to a Workshop (not to the Division) may apply direct provided they possess the educational qualification prescribed for the said direct recruitment. Applications of such persons can be considered by the Railway Administration alongwith other applications. Such candidates can also be allowed age concession to the extent of five years or service rendered in the Institutes, whichever is less for absorption in Class-IV categories and appearing before Railway Recruitment Board for selection to Class-III categories.

(Nos. E(NG)III73-RR1-27 dated 30-10-73 and E(NG)II/87-RR4/5 dated 23-8-88).

15. The Railway Board have no objection to the checking of Institutes/clubs Accounts being done by selected Accounts staff outside their office hours on payment of a fee from the Institutes/clubs fund.

16. It is to be noted that the staff engaged by the Institutes and Clubs are not Railway servants as they are engaged by respective management committee etc. of such Institute & Clubs. Wherever, such Non Railway staff are covered by applicable labour laws pertaining to minimum wages, it is desirable that they should be paid minimum wages.

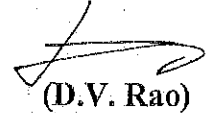
No.E(W)2018/E(LL)MW/4 dated 26.04.2019.

17. General :

- a. The consolidation made in the Master Circular should be construed only as a key to the original circular and not a substitution. In case of any doubt, the original circular (s) referred to in the Master Circular will be relied upon as authority.
- b. It should be noted that orders/ instructions issued under the various circulars have only prospective effect from the date of issue of the relevant original letter(s), unless specifically stated otherwise in the concerned letter. Hence, for dealing with old cases, the instructions in force at the relevant time have to be referred.

- c. Though all efforts have been taken to include all the relevant circulars on the subject, if any circular which has not been superseded happens to be omitted, the circular which has been omitted through oversight will still hold the field. Anyone coming across such a circular may bring it to the notice of the Railway Board for suitable action for issuing a supplementary circular.

Please acknowledge receipt.


(D.V. Rao)
Director Estt.(Welfare)
Railway Board.

The consolidation has been made from the following :

1. Paras 2208-2717 of IREM of 1968 (not enclosed)
2. No. E.49-ISI/3 dated 9-2-80
3. No. E.49-ISI/3, dated 12-9-50
4. No. E. 53-FU1/3 dated 30-5-55
5. No. E.55-LR1/4 dated 25-4-56
6. No. E(L) 60-ST1-33 dated 9-2-60
7. No. E(NG)III/73/NR/1/27 dated 30-10-73
8. No. E(W)80/ISI/1 dated Oct, 1980
9. No. E(LR)III/80/UT3/23 dated 8-5-80
10. No. E(W)86-ISI-2 dated 3-6-86
11. NO. E(W)87SC2-13 dated 20-1-88
12. No. E(W)86-ISI-1 dated 21-1-87
13. No. E(W) 97/PS5-1/45 dated 28.10.99
14. No.E(G)58PS5-4/1 dated 18.3.60
15. No.E(G)58PS5-4/1 dated 9.11.59
16. No. E(NG)II-87/RR4/5 dated 23-8-88
17. Supreme Court Judgement dated 27-2-90 on Writ Petition No. 1389 of 1987 (not enclosed -forwarded to Railway under No. E(W)87ISI-12 dated 30-4-90).
18. No.E(W)99/IS-1/3 dtd 04.04.2000
19. No.E(W)2004/IS-1/2 dated 12.10.2006
20. No.E(W)2006/FU-1/5 (Pt) dated 16.10.2018
21. No.2004/LML/18/116 dated 2.10.2004
22. No.E(W)97PS5-1/45 dtd 28.10.99.
23. No. E(W)2019/PS5-1/5 dated 03.06.2019
24. No.2018/E(LL)/MW/4 dated 26.04.2019.

01/Issue
25/09/2019

07C

रेलवे मंत्रालय Ministry of Railways अनुसूचित Railway Board अनुसूचित Railway Board हस्ताक्षर Signature जारी है Date

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

सं. ई(डब्ल्यू)2019/आईसी-1/2

नई दिल्ली, दिनांक 27.08.19

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।

विषय:- रेलवे संस्थान/क्लब-मास्टर परिपत्र अद्यतन करने के संबंध में।

वर्तमान में रेलवे क्लब/संस्थानों से संबंधित आदेशों को मास्टर परिपत्र सं. 3/90 में समेकित किया गया है, जिसे दिनांक 07.09.1990 के पत्र सं.ई(डब्ल्यू)90/आईएस-1/3 के तहत जारी किया गया था। इसमें मुख्य बातें और बोर्ड द्वारा इस विषय पर समय-समय पर जारी अनुदेश अंतर्विष्ट हैं। इसके बाद, मास्टर परिपत्र के अनुपूरक अनुदेशों के रूप में कई अनुदेश जारी किए गए हैं। इन मौजूदा आदेशों/परिपत्रों को अद्यतन मास्टर परिपत्र में समेकित करने का मामला रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में विचाराधीन है। सभी संबंधितों की सूचना और मार्गदर्शन के लिए इस विषय पर समेकित संशोधित मास्टर परिपत्र जारी करने का विनिश्चय किया गया है।

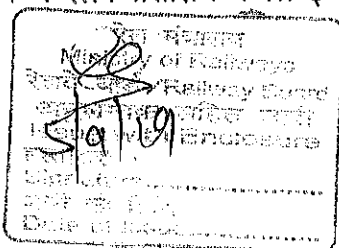
2. रेल कर्मचारियों के बीच मेल-जोल की भावना को बढ़ावा देने और उन्हें खेल-कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, आदि में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रेलवे प्रशासन, कर्मचारी सुविधाओं के रूप में संस्थानों/क्लबों की व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार, रेल संस्थानों को रेलवे द्वारा अपने कर्मचारियों के हित के लिए स्थापित बिना किराए का क्लब माना जाना चाहिए। अतः सिद्धान्त रूप में रेलवे प्रशासनों को साधारणतः मकान मालिक द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए और संस्थान/क्लब को किराएदार की तरह देय सारी रकम का भुगतान करना चाहिए।

3. रेलवे प्रशासन निम्नलिखित का खर्च वहन करेगा:-

(i) इमारत की प्रारम्भिक लागत, जिसमें बिजली संस्थापनाओं (बिजली के पंखों सहित) तथा आवश्यक फर्नीचर, सड़कें, बाड़, टेनिस क्रीडा-स्थल और खेल के अन्य मैदानों की लागत शामिल है। जहां संभव होगा, वहाँ बगीचे की व्यवस्था भी की जाएगी।

टिप्पणी:- "फर्नीचर" शब्द में बिलियर्ड की मेज, पियानो और चित्र शामिल नहीं हैं। इसमें बिलियर्ड की मेज के लैम्पों को छोड़कर बाकी के लैम्प और अलमारियों के ताले-चाबियाँ शामिल हैं।

(ii) टेनिस क्रीडा-स्थलों और खेल के अन्य मैदानों को छोड़कर अनुरक्षण और परिवर्तन की लागत के संबंध में रेलवे प्रशासन केवल इंजीनियरी संबंधी साधारण मरम्मत का खर्च वहन करेगा।



०/८

4. संस्थान/क्लब निधि से निम्नलिखित खर्च वहन किया जाएगा :-

- (क) इंजीनियरी संबंधी मरम्मत को छोड़कर, खेल के मैदानों पर रोलर चलाने, पानी छिड़कने, घास काटने का खर्च और अन्य प्रकार के अनुरक्षण की लागत;
- (ख) बगीचों और सुंदर मैदानों के अनुरक्षण की लागत;
- (ग) बिजली के पंखों सहित बिजली संस्थापनाओं के आंशिक या पूर्ण अनुरक्षण और नवीकरण की लागत, जो संस्थापनाओं की पूंजी लागत के 5/- रु की एक समान वार्षिक दर पर देय होगी।
- (घ) खपत की गई बिजली की लागत और मीटर का किराया।
- (ङ) सामान्य किस्म के करों से भिन्न, नगरपालिका द्वारा किसी संस्थान को प्रदत्त सफाई, पानी और इस तरह की दूसरी सीधी विशिष्ट सेवाओं के लिए नगरपालिका द्वारा लगाए गए करों में अधिभोगी का हिस्सा।
- (च) जल प्रभार, जो प्रति नल के हिसाब से परिकलित किए जाएंगे और प्रत्येक रेलवे प्रशासन प्रभार की अपनी-अपनी दरें तय करेगा।

टिप्पणी: जहां रेलवे प्रशासनों द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में पानी सप्लाई किया जाता है, जैसे तरण-ताल के लिए, वहाँ सप्लाई किए गए पानी की वास्तविक लागत वसूल की जानी चाहिए। बहरहाल, जहां इस तरह के तरण-ताल का इस्तेमाल किया हुआ पानी रेलवे के किसी निश्चित प्रयोजन के लिए, जैसे मल व्यवस्था और मैदानों में छिड़काव आदि के लिए, इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ तरण-ताल को दिये जाने वाले पानी पर कोई प्रभार वसूल नहीं किया जाना चाहिए।

5. यदि रेलवे की जमीन पर संस्थानों/क्लबों द्वारा अपने खर्च पर इमारत का निर्माण किया गया हो, तो संस्थानों/क्लबों से उसका कोई किराया वसूल नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित मामलों में भी संस्थानों/क्लबों से कोई किराया नहीं लिया जाएगा:-

- i. यदि भवन का विशेष रूप से निर्माण, रेलवे बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त करके किया गया है;
- ii. यदि किसी वर्तमान इमारत को संस्थान/क्लब में परिवर्तित करने अथवा उसे संस्थान/क्लब के रूप में इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए गौण कामों की व्यवस्था करने के लिए रेलवे बोर्ड की पूर्व-स्वीकृति प्राप्त करके कोई अतिरिक्त व्यय किया गया हो।

6. रेलवे संस्थानों/क्लबों में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को किराया-मुक्त निवास स्थान दिया जा सकता है, बशर्ते वह स्थान संस्थान/क्लब की इमारत का अंग हो और रेलवे के किसी अन्य प्रयोजन के लिए उसकी आवश्यकता न हो अथवा बाहरी व्यक्तियों को किराए पर न दिया जा सकता हो और अन्यथा खाली रहता हो।

(भा.रे.स्था. नियमावली, वाल्यूम II का पैरा 2211 (संशोधित संस्करण 1990))

7. रेलवे प्रशासनों की स्थानीय आवश्यकताओं और अन्य स्थानिक परिस्थितियों के अनुरूप महाप्रबंधक नियम बना सकते हैं। रेलवे परिसरों/संस्थानों/क्लबों आदि के उपयोग के लिए नियम निर्धारित करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का भी विशिष्ट उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए:

- (i) मान्यताप्राप्त यूनियनों द्वारा रेलवे भूमि पर बैठक आयोजित करना - इन बैठकों में किसी राजनैतिक विषय पर विचार-विमर्श नहीं किया जाना चाहिए।
- (ii) रेलवे भूमि/परिसरों में अमान्यताप्राप्त यूनियनों की बैठकें आयोजित करने की अनुमति प्रदान करने का निषेध।
- (iii) चुनाव/सभा और या जन सभाएं आयोजित करने के लिए रेलवे भूमि के उपयोग पर प्रतिबंध। (भा.रे.स्था. नियमावली, पैरा 2217, जिल्द II). (संशोधित संस्करण - 1990).

8. संस्थानों और क्लबों को कर्मचारी हित निधि के अंतर्गत आबंटन और प्रभार आदि।

कर्मचारी हित निधि के अंतर्गत अनुदान अधिकारियों और पर्यवेक्षी कर्मचारियों दोनों की ही मनोरंजन सुविधाओं के लिए है, इसलिए कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि इस अनुदान का एक हिस्सा स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए महाप्रबंधकों द्वारा निर्धारित किए गए स्तर के आधार पर पर्यवेक्षी कर्मचारियों के मनोरंजन हेतु संस्थानों को भी उपलब्ध कराया जाता है।

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 04.04.2000 का पत्र सं. ई(डब्ल्यू)99/आईएस-1/3)

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि 'संस्थानों और क्लबों में मनोरंजन सुविधाएं' शीर्ष/गतिविधि के लिए कर्मचारी हित निधि के अंतर्गत उपलब्ध अनुदान का अधिकारियों के क्लब के लिए भी उपयोग किया जा सकता है।

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 16.10.2018 का पत्र सं.ई (डब्ल्यू) 2006/एफयू-1/5)

यह भी विनिश्चय किया गया है कि क्लब परिसरों को किराए पर लेने के लिए केवल 3 दरें निर्धारित की जाएं:

एक सदस्यों के लिए, दूसरी गैर-सदस्य अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों के लिए और तीसरी बाहरी व्यक्तियों के लिए। पर्यवेक्षकों से वसूल की जाने वाली दरें बाहरी व्यक्तियों से वसूल की जाने वाली दरों से कम और सदस्यों से वसूल की जाने वाली दरों से अधिक होनी चाहिए। गैर-सदस्य अधिकारियों और गैर-सदस्य पर्यवेक्षकों से वसूल की जाने वाली दरों में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए।

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 04.04.2000 का पत्र सं.ई(डब्ल्यू)99/आईएस-1/3)

9. रेल संस्थानों/क्लब परिसरों को बाहरी व्यक्तियों द्वारा निजी समारोहों के लिए उपयोग:

क्लब/संस्थानों के परिसर की तदनुसार सदस्यों आदि के निजी समारोहों के लिए पेशकश की जाती है। यूनियनों और बाहरी व्यक्तियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सिनेमा शो आदि के लिए क्लब/संस्थानों के परिसर का उपयोग करने के बारे में भी अनुदेश विद्यमान हैं। बहरहाल, निजी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बोर्ड द्वारा कतिपय शर्तें निर्धारित की गई हैं।

(रेलवे बोर्ड का पत्र सं.63/डब्ल्यू2/सीएनबी दि. 7.2.67 व 1.5.67, सं.78/डब्ल्यू2/3/66 दि. 10.8.79, सं.ई(डब्ल्यू)86-आईएसआई-2 दि. 3.6.86 और सं.ई(डब्ल्यू)99/आईएस-1/3 दिनांक 04.04.2000)

9.2 संपत्ति पर विशुद्ध रूप से रेलवे का मालिकाना हक होने के नाते यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि क्लब/संस्थान प्रबंधन द्वारा परिसरों को किसी अन्य को पट्टे पर नहीं दिया जा सकता है। बहरहाल, रेल सदस्यों और गैर-सदस्य अधिकारियों/कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के बाद क्लब/संस्थानों में निजी समारोह आयोजित करने के लिए बाहरी व्यक्तियों को अनुमति देती रही हैं, जो कि परिसरों को पट्टे पर देने की कीमत पर नहीं है। हाल ही में एक मामले में अधिकारियों के क्लब की प्रबंधन समिति ने बोर्ड के मौजूदा अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना 20 वर्ष की अवधि के लिए वाणिज्यिक लाभ के लिए क्लब परिसर का उपयोग करने के बारे में निजी ठेकेदार से एक करार किया है, जिसमें निर्धारित किया गया है कि रेलवे की कार्यप्रणाली से संबंधित नहीं है, इसके लिए रेल भूमि को लाइसेंस पर देने की अनुमति नहीं है।

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 27.10.2004 का पत्र सं.2004/एलएमएल/18/116)

9.3 क्षेत्रीय रेलों द्वारा कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके क्लबों/संस्थानों के उप-नियम क्लबों/संस्थानों की रेल भूमि को पट्टे पर देने/उपयोग करने के कार्यों के लिए समय-समय पर जारी किए गए मौजूदा अनुदेशों के अनुरूप होने चाहिए।

9.4 उप-नियमों में निम्नलिखित पहलुओं का भी ध्यान रखा जाए और यथोचित प्रावधान समाविष्ट किए जाएं:

- (क) आमतौर पर किसी व्यक्ति द्वारा निजी समारोह के लिए क्लब/संस्थान का उपयोग केवल एक दिन के लिए सीमित होना चाहिए और इसके प्रभार 'प्रतिदिन' आधार पर वसूल किए जाने चाहिए।
- (ख) बाहरी व्यक्तियों के मामले में क्लब/संस्थान परिसरों के उपयोग की अनुमति क्लब/संस्थान द्वारा सीधे उस व्यक्ति द्वारा केवल निजी प्रयोजन के लिए होनी चाहिए और इसका उपयोग वाणिज्यिक हित/लाभ के लिए नहीं होना चाहिए।
- (ग) परिसर को किसी अन्य व्यक्ति को आबंटित करके कब्जा लेने के लिए कोई तीसरा पक्ष या ठेकेदार प्राधिकृत नहीं है।
- (घ) क्लब/संस्थान प्रबंधन परिसरों का उचित उपयोग करने के बारे में शर्तों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा, परंतु आबंटिती के लिए खानपान/शामियाना आदि की व्यवस्था के लिए प्रबंधन शामिल नहीं रहेगा। खानपान/शामियाना आदि की व्यवस्था आबंटिती द्वारा स्वयं की जाएगी।
- (ङ) क्लब/संस्थान की संपत्ति के किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए आबंटिती स्वयं उत्तरदायी होगा।

- (च) बाहरी व्यक्तियों द्वारा क्लब/संस्थान परिसरों के उपयोग के लिए किराए प्रभार बाज़ार में उपलब्ध सुविधाओं की तुलना में ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा निर्धारित किए जाने चाहिए।
- (छ) परिसर में जुआ खेलना, मदिरापान करना और अन्य गैर-कानूनी गतिविधियां प्रतिबंधित होनी चाहिए।
- (ज) क्लब/संस्थान के सचिव को कार्यक्रम आदि के बारे में अवश्य सूचित किया जाना चाहिए। कार्यक्रम की स्वीकृति देने या अस्वीकृत करने के बारे में सचिव का निर्णय अंतिम होगा।
- (झ) क्लब/संस्थान प्रबंधन परिसर/रेल भूमि के मालिक के रूप में रेलवे के प्राधिकार के तहत किसी अन्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई शर्त या कोई करार नहीं करेगा और जिससे रेलवे का हित प्रभावित होता हो और सदैव रेलवे के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाएगा।
- (ञ) आबंटिती से परिसर का उपयोग करने और इसे सही ढंग से रेलवे को वापस करने के लिए जमानत राशि वसूल की जाए। आबंटिती द्वारा रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में इस जमानती राशि के नुकसान की भरपाई के लिए यथोचित ढंग से समायोजित किया जाएगा। जमानती राशि की दर स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाएगी।

(रेलवे बोर्ड का पत्र सं.ई(डब्ल्यू)2004/आईएस-1/2 दिनांक 12.10.2006)

10. संस्थान/क्लब की सदस्यता ऐच्छिक होती है। संस्थानों/क्लबों को चलाने का प्रबंध, उनके सदस्यों की एक समिति द्वारा किया जाना है। समिति आवश्यक कर्मचारियों को नियुक्त करती है और उनके वेतन तथा भत्ते का खर्च वहन करती है। संस्थानों/क्लबों को चलाने का खर्च, संस्थानों की प्रबंध समितियों को सदस्यता शुल्क के रूप में प्राप्त और कर्मचारी हित निधि से प्राप्त अनुदान की राशि से पूरा किया जाता है। चूंकि प्रबंध समिति के पास सीमित मात्र में धन उपलब्ध होता है, इसलिए उन्हें केवल अंशकालिक कार्यकर्ता ही नियुक्त करने चाहिए और पूर्णकालिक कार्यकर्ता तभी नियुक्त करने चाहिए जब ऐसा करना बहुत ही आवश्यक हो तथा ऐसी हालत में उन्हें बाजार की परिस्थितियों के समरूप पर्याप्त मजदूरी दी जानी चाहिए।

(सं. ई(डब्ल्यू)86-आईएसआई दिनांक 21.1.87, ई(डब्ल्यू)80-आईएसआई-1, दिनांक अक्टूबर, 1980 और ई.55 एलआरआईजी दिनांक 25-4-56).

11. रेलवे संस्थानों के पूर्णकालिक कर्मचारियों को रेल सेवक (पास), नियम, 1986 (दूसरा संस्करण, 1993) की शुद्धि पर्ची सं. 17 के अनुसार मानार्थ एडमिन चेक पास भी दिए जा सकते हैं।

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 28.10.99 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू)97पीएस5-1/45)

11.1 गैर-रेलवे कर्मचारियों की पास सुविधा को दिनांक 03.06.2019 के सं. ई (डब्ल्यू)2019/पीएस5-1/5 के अनुदेशों द्वारा शासित किया जाएगा।

12. चूंकि संस्थानों/क्लबों के कर्मचारी नियमित रेल कर्मचारी नहीं हैं, इसलिए प्रबंध समितियों को चाहिए कि वे किसी व्यक्ति को अपने नियोजन में लेने का प्रस्ताव भेजते समय, इस आशय का उपयुक्त खंड प्रस्ताव में जोड़ दें। मौजूदा कर्मचारियों को भी इस बारे में विधिवत सूचना दे दी जानी चाहिए। इस संबंध में, उच्चतम न्यायालय ने 1987 की सिविल रिट सं. 1389 में, 27.2.90 के अपने हाल के निर्णय में रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के इस तर्क को बरकरार रखा है कि रेलवे संस्थानों/क्लबों द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारी नियमित रेल कर्मचारी नहीं हैं और फलस्वरूप न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया है।

(सं. ई(डब्ल्यू)86आईएसआई-1, दिनांक 21.1.87 और ई(डब्ल्यू)87आईएसआई-12 दिनांक 30.4.90)

13. मान्यताप्राप्त यूनियनों को रेलवे संस्थानों/क्लबों में बैठकें आयोजित करने की अनुमति देने के मामले में, सभी रेलों द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए:-

- i. रेलवे संस्थानों/क्लबों का उपयोग करने से पहले, रेलवे की पूर्व-अनुमति आवश्यक होगी;
- ii. बैठक आयोजित करने से कम-से-कम तीन दिन पहले, प्रशासन के पास अनुमति के लिए अनुरोध पहुँच जाना चाहिए;
- iii. बैठक में किसी राजनीतिक विषय पर विचार-विमर्श नहीं किया जाएगा, परंतु रेलवे प्रशासन बैठक की कार्यसूची की प्रति प्राप्त करने के लिए हठ नहीं करेगा।
- iv. रेलवे प्रशासन से अनुमति प्राप्त करने के साथ-साथ, सिविल प्राधिकारियों अथवा संस्थान/क्लब की प्रबंध समिति से अनुमति, जहां-कहीं आवश्यक हो, प्राप्त करने का उत्तमदरदायित्व संबंधित ट्रेड यूनियनों का होगा।
- v. अनुमति के लिए आवेदन करते समय, यूनियनों द्वारा बैठक की तारीख और समय के बारे में भी सूचना दी जानी चाहिए।

रेलवे प्रशासन यह सुनिश्चित करेंगे कि अनुमति दिए जाने अथवा न दिए जाने के बारे में यूनियनों को शीघ्रतापूर्वक सूचित किया जाए। बैठकें, आदि आयोजित करने के लिए, गैर-मान्यताप्राप्त यूनियनों को रेलवे भूमि परिसर के उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती।

- vi. उन समारोहों को छोड़कर, जिन्हें किसी खास रेलवे परिसर में आयोजित किए जाने की अनुमति विगत में दी गई हो, किसी भी धार्मिक उत्सव के लिए रेलवे परिसर के उपयोग पर प्रतिबंध होगा।

यह वांछा की जाती है कि उपर्युक्त के संबंध में रेलवे संस्थानों/क्लबों को चलाने के बारे में बनाए गए स्थानीय नियमों में रेल प्रशासन द्वारा इसका विशिष्ट उल्लेख किया जाए।

(सं. ई(एल)60यूटी1-33 दिनांक 9-2-60, ई(एलआर)111-80यूटी3/23 दिनांक 8-5-80, ई(डब्ल्यू)86-आईएसआई-2 दिनांक 3-6-86 और ई(डब्ल्यू)87-एससी-2/13 दिनांक 20-1-88).

14. यह विनिश्चय किया गया है कि कार्यशालाओं अथवा बिजली/डीजल लोको शेडों में, जहां वर्तमान अनुदेशों के अंतर्गत ग्रुप "डी" के पदों पर खुले बाजार से सीधी भर्ती की जाती है, किसी कार्यशाला से (मण्डल से नहीं) स्वतंत्र रूप से संबद्ध रेलवे संस्थानों में नियुक्त कर्मचारी सीधे आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता रखते हों। अन्य आवेदनों के साथ-साथ, रेलवे प्रशासन द्वारा उन व्यक्तियों के आवेदनों पर विचार किया जा सकता है। श्रेणी-IV की कोटियों में समाहित किए जाने के लिए और श्रेणी-III की कोटियों में चयन के लिए रेल भर्ती बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिए ऐसे उम्मीदवारों को 5 वर्ष तक की अथवा संस्थान में की गई सेवा की अवधि तक, जो भी कम हो, आयु सीमा में छूट भी दी जा सकती है।
(सं.ई(एनजी)111/74-आरआर1-27 दिनांक 30-10-73 और ई(एनजी)111/87-आरआर4/5 दिनांक 23-8-88).

15. संस्थानों/क्लबों के खातों की जांच लेखा विभाग के चुने हुए कर्मचारियों द्वारा, उनके कार्यालय समय के बाद, संस्थान/क्लब के कोष से शुल्क का भुगतान करके कराये जाने पर, रेलवे बोर्ड को कोई आपत्ति नहीं है।

16. यह उल्लेख किया जाता है कि संस्थानों और क्लबों द्वारा नियुक्त कर्मचारी रेल सेवक नहीं हैं क्योंकि वे ऐसे संस्थान एवं क्लबों के संबंधित प्रबंधन समिति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं जहां-कहीं, ऐसे गैर-रेलवे कर्मचारी न्यूनतम मजदूरी से संबंधित लागू श्रम कानून के तहत आते हैं, इसलिए यह वांछनीय है कि उन्हें न्यूनतम मजदूरी दी जाए।
सं.ई(डब्ल्यू)2018/ई(एलएल)एमडब्ल्यू/4 दिनांक 26.04.2019.

17. सामान्य:

क. मास्टर परिपत्र में किए गए समेकिकरण को मूल परिपत्र का सार मात्र समझा जाना चाहिए, न कि इसे मूल परिपत्र के बदले में समझा जाना चाहिए। किसी प्रकार की आशंका होने पर, मास्टर परिपत्र में उल्लिखित मूल परिपत्र (परिपत्रों) को ही प्राधिकार स्वरूप समझा जाना चाहिए।

ख. यह नोट कर लिया जाए कि जब तक संबंधित पत्र में विशिष्ट रूप से अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, तब तक विभिन्न परिपत्रों के अंतर्गत जारी किए गए आदेश/अनुदेश संबंधित मूल पत्र (पत्रों) के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे। इसलिए, पुराने मामलों को निपटाते समय, तत्समय लागू अनुदेशों के अनुसार ही कार्रवाई की जानी चाहिए।

ग. हालांकि विषय से संबंधित सभी परिपत्रों को इसमें शामिल करने का पूरा प्रयास किया गया है, फिर भी यदि कोई परिपत्र, जिसका अतिक्रमण नहीं किया गया है, इसमें शामिल किए जाने से छूट गया हो, इस प्रकार भूलवश छूट गया हुआ वह परिपत्र प्रभावी रहेगा। जिस किसी व्यक्ति के ध्यान में इस तरह का परिपत्र आए वह उसे रेलवे बोर्ड के ध्यान में ला सकता है, ताकि पूरक परिपत्र जारी करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जा सके।

कृपया पावती दें।

(डी.वी. राव)

निदेशक स्थापना (कल्याण)

रेलवे बोर्ड

समेकन निम्नलिखित से किया गया है:

1. भा.रे.स्था. नियमावली, 1968 का पैरा 2208-2717 (संलग्न नहीं है)
2. सं. ई.49-आईएसआई/3 दिनांक 9-2-80
3. सं. ई.49-आईएसआई/3, दिनांक 12-9-50
4. सं. ई.53-एफयू1/3 दिनांक 30-5-55
5. सं. ई.55-एलआर1/4 दिनांक 25-4-56
6. सं.ई(एल) 60-एसटी1-33 दिनांक 9-2-60
7. सं.ई(एनजी)III/73/एनआर/1/27 दिनांक 30-10-73
8. सं.ई(डब्ल्यू)80/आईएसआई/1 दिनांक अक्टूबर, 1980
9. सं.ई(एलआर)III/80/यूटी3/23 दिनांक 8-5-80
10. सं.ई(डब्ल्यू)86-आईएसआई-2 दिनांक 3-6-86
11. सं.ई(डब्ल्यू)87एससी2-13 दिनांक 20-1-88
12. सं.ई(डब्ल्यू)86-आईएसआई-1 दिनांक 21-1-87
13. सं.ई(डब्ल्यू) 97/पीएस5-1/45 दिनांक 28.10.99
14. सं.ई(जी)58पीएस5-4/1 दिनांक 18.3.60
15. सं.ई(जी)58पीएस5-4/1 दिनांक 9.11.59
16. सं.ई(एनजी)II-87/आरआर4/5 दिनांक 23-8-88
17. 1987 की रिट याचिका सं. 1389 पर सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 27-2-90 का निर्णय (संलग्न नहीं है - रेलवे को दिनांक 30-4-90 के सं. ई(डब्ल्यू)87आईएसआई-12 के तहत अद्योषित).
18. सं.ई(डब्ल्यू)99/आईएस-1/13 दिनांक 04.04.2000
19. सं.ई(डब्ल्यू)2004/आईएस-1/2 दिनांक 12.10.2006
20. सं.ई(डब्ल्यू)2006/एफयू-1/5 (पार्ट) दिनांक 16.10.2018
21. सं.2004/एलएमएल/18/116 दिनांक 2.10.2004
22. सं.ई(डब्ल्यू)97पीएस5-1/45 दिनांक 28.10.99
23. सं.ई(डब्ल्यू)2019/पीएस5-1/5 दिनांक 03.06.2019
24. सं.2018/ई(एलएल)/एमडब्ल्यू/4 दिनांक 26.04.2019.

